तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजस्व अपील संख्या 77/2022 पीरदान सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 आदेश दिनांक 12.09.2022 न्यायालय तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 13/2022 में पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि हल्का पटवारी दुर्गावता ने अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.09.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर बतलाया कि ग्राम केरला नगर, तहसील बालेसर के खसरा नं0 458 रकबा 2.05 बीघा भूमि पर अपीलान्ट ने अनाधिकृत मूंगफली की काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.09.2022 को हल्का पटवारी आईएलआर बालेसर को खड़ी फसल को कुर्क करने का विधिविरूद्ध आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट मंगवाए बिना ही तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही गैर कानूनी आदेश पारित कर दिया। इस कारण ऐसे आदेश को बहाल रखा जाना कानूनन न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.09.2022 को निरस्त करने की प्रार्थना की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.09.2022 को अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर पटवारी हल्का दुर्गावता की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम केरला नगर तहसील बालेसर के खसरा नं0 458 रकबा 2.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन नाला पर पीरदान सिंह ने अनाधिकृत रूप से मूंगफली की फसल से अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.09.2022 को अपीलार्थी/पीरदान सिंह के अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु समय चाहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी व आईएलआर बालेसर को आदेश जारी किए कि खड़ी फसल को कुर्क करे। अपीलार्थी अधिवक्ता ने आफ्सटेकिंग देकर बतलाया कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 [illegible] केरला नगर व खसरा नं0 399 ग्राम शहीद भगतसिंह नगर तहसील बालेसर में आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है मेरे खातेदारी कृषि भूमि के पड़ौस में [illegible] खसरा नं0 458 की सरकारी भूमि आई हुई है अगर सरकारी भूमि पर प्रार्थी का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:16 IST
Reason: SelfAttested

कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो प्रार्थी स्वयं हटा लेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को जवाब का समय दिए बिना ही फसल को कुर्क करने का आदेश पारित कर दिया जो न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बालेसर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को मूंगफली की फसल लेने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा तहसीलदार बालेसर प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा, 1956 की धारा 91 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत् निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:16 IST
Reason: SelfAttested